रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29092025-266472 CG-DL-E-29092025-266472

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 642]	नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 23, 2025/आश्विन 1, 1947
No. 642]	NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 23, 2025/ASVINA 1, 1947

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2025

सीएम-99/1/2021-लॉ-एचओ-सीपीसीबी-एचओ.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम,1974 (1974 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4, खंड 4) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं.14) की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एतदद्वारा, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप के संबंध में उस समिति का पुनर्गठन करता है, जिसका गठन भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 31.08.1988 की अधिसूचना संख्या एस.ओ.842 (ई) के द्वारा किया गया था और जिसका पुनर्गठन भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 18.07.2024 की अधिसूचना संख्या सीएम-99/1/2021-लॉ-एचओ-सीपीसीबी-एचओ के द्वारा किया गया था। इस समिति का पुनर्गठन निम्नानुसार है:-

क्र.स.	अधिकारी/प्रतिनिधियों का नाम	प्रतिनिधि का नाम/भूमिका
1	सचिव (वित्त), संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	अध्यक्ष *
		(अध्यक्ष के पद की संस्वीकृति होने तक)
2	सचिव, पंचायत विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	सदस्य
3.	सचिव, उद्योग विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	सदस्य

6361 GI/2025 (1)

4	अधीक्षण अभियंता, लक्षद्वीप लोक निर्माण विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	सदस्य
5	निदेशक, पत्तन, पोत परिवहन एवं विमानन विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	सदस्य
6.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	सदस्य
8.	सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	सदस्य
9.	निदेशक/वैज्ञानिक, दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बंगलूरू	सदस्य
10.	नागरिक समाज/उद्योगों/व्यापार/गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 02 विशेषज्ञ सदस्य (अध्यक्ष, के.प्र.नि.बोर्ड द्वारा नामित)	क. श्री आनंद चाको, त्रावणकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड – सदस्य ख. डॉ. एम. सतीश कुमार, भारत के पृथ्वी विज्ञान के अध्येता - सदस्य
11.	आईआईटी/एनआईटी/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर (पर्यावरणीय अध्ययन) (अध्यक्ष, के.प्र.नि.बोर्ड द्वारा नामित)	डॉ. जॉर्ज के. वर्गीस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), कालीकट - सदस्य
12.	सदस्य सचिव (अथवा) उनके नामिति, के.प्र.नि.बोर्ड, दिल्ली	सदस्य
13.	प्रबंध निदेशक, लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड	सदस्य
14	सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप	सदस्य सचिव** (सदस्य सचिव के पद की संस्वीकृति होने तक)

तथा,

- i. इस समिति को लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति कहा जाएगा।
- ii. यह समिति उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो दिनांक 31.08.1988 की मूल अधिसूचना, एस.ओ.842 (ई) के द्वारा समिति को प्रत्यायोजित की गई थी।
- iii. * चूंकि संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में अध्यक्ष का कोई पद संस्वीकृत नहीं है, इसलिए अध्यक्ष के पद की संस्वीकृति होने तक, सचिव (वित्त), संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है।
- iv. ** चूंकि संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में सदस्य सचिव का कोई पद संस्वीकृत नहीं है, इसलिए सदस्य सचिव पद के संस्वीकृत होने तक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप के सचिव को लक्षद्वीप प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव के रूप में नामोदिष्ट किया जा रहा है।
- v. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- vi. भारत के राजपत्र में **दिनांक 18.07.2024 को** प्रकाशित अधिसूचना संख्या सीएम-99/1/2021-लॉ-एचओ-सीपीसीबी-**एचओ** का निरसन होता है।

वीर विक्रम यादव, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./376/2025-26] नोट: मूल अधिसूचना को दिनांक 23.03.2006 की अधिसूचना संख्या विधि/156(4)1990, दिनांक 21.06.2021 की अधिसूचना संख्या सी-603/लक्षद्वीप पीसीसी/विधि-2021 और दिनांक 18.07.2024 की अधिसूचना संख्या सीएम-99/1/2021-लॉ-एचओ-सीपीसीबी-एचओ के द्वारा संशोधित की गई।

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2025

CM-99/1/2021-LAW-HO-CPCB-HO.— In exercise of the power conferred by Section 4, clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 4 of 1981), the Central Pollution Control Board hereby reconstitutes the Committee as specified by the Central Government whose constitution was notified by a Notification published in the Gazette of India vide S.O. 842(E), dated 31.08.1988 and reconstitution was notified by a Notification published in the Gazette of India vide CM-99/1/2021-LAW-HO-CPCB-HO dated 18.07.2024 in respect of the Union Territory (UT) of Lakshadweep. The reconstitution of the Committee is as follows:

S.No	Name of Official / Representatives	Name of Representative/Role
1	Secretary (Finance), UT of Lakshadweep	Chairman*
		(Till sanction of the post of Chairman)
2	Secretary, Department of Panchayats, UT of Lakshadweep	Member
3.	Secretary, Department of Industries, UT of Lakshadweep	Member
4	Superintending Engineer, Lakshadweep Public Works Department, UT of Lakshadweep	Member
5	Director, Department of Port, Shipping & Aviation, UT of Lakshadweep	Member
	Director, Department of Health Services, UT of Lakshadweep	Member
7.	Chief Executive Officer, District Panchayat, UT of Lakshadweep	Member
	Secretary, Department of Health Services, UT of Lakshadweep	Member
	Director / Scientist, Southern Regional Office MoEFCC, Bengaluru	Member
10.	02 Expert Members to represent the Civil Society / Industries/ Trade / NGO (to be nominated by	a. Sh. Anand Chacko, Travancore Titanium Products Limited – Member
	Chairman, CPCB)	b. Dr M Satheesh Kumar, Fellow of Earth Science of India - Member
11.	Professor (Environmental Studies) from IITs/NITs/Central Universities (to be nominated by Chairman, CPCB)	Dr. George K Varghese, National Institute of Technology (NIT), Calicut - Member
12.	Member Secretory (or) his nominee, CPCB, Delhi	Member
13.	Managing Director, Lakshadweep Development	Member

Corporation Limited	
Secretary, Department of Science and Technology, UT of Lakshadweep	Member Secretary** (Till sanction of the post of Member Secretary)

And,

- (i) This Committee may be called as Lakshadweep Pollution Control Committee.
- (ii) This Committee shall exercise all the powers which were delegated to the Committee vide Principal Notification, S.O. 842 (E) dated 31.08.1988.
- (iii) *As there is no sanctioned post of Chairman in UT of Lakshadweep, Secretary (Finance), UT of Lakshadweep is designated as Chairman, LPCC, till sanction of the Chairman Post.
- (iv) ** As there is no sanctioned post of Member Secretary in UT of Lakshadweep, the Secretary, Department of Science and Technology, UT of Lakshadweep is being designated as Member Secretary, LPCC, till sanction of the Member Secretary post
- (v) The Notification shall come into force with immediate effect.
- (vi) The Notification published in the Gazette of India vide CM-99/1/2021-LAW-HO-CPCB-HO dated 18.07.2024 stands rescinded.

VIR VIKRAM YADAV, Chairman [ADVT.-III/4/Exty./376/2025-26]

Note:- The Principal Notification was amended vide Legal/156(4) 1990 dated 23.03.2006, C-603/Lakshdweep PCC/Legal-2021 dated 21.06.2021 and CM-99/1/2021-LAW-HO-CPCB-HO dated 18.07.2024.